न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 94/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

फिनोवा केपिटल प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी **भरत सिंह कविया रजिस्टर्ड कार्यालयः–** 702, 7th फ्लोर, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नंबर 13–14 कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर–302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **मैताश कुमार पुत्र महेश कुमार** वार्ड नम्बर 1, ढाणी गोपीनाथ जी की, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राजस्थान 332715
2. **सुमन निठारवाल पत्नी मैताश कुमार** वार्ड नम्बर 1, ढाणी गोपीनाथ जी की, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राजस्थान 332715
3. **महेश कुमार पुत्र बेगाराम** गोपीनाथ जी की ढाणी, पोस्ट जालपाली, वार्ड नम्बर 1, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान 332715
4. **अनिल कुमार पुत्र मंगल चन्द** खिचर बन्दू निवास, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान 332715

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 17 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैताश कुमार पुत्र महेश कुमार, सुमन निठारवाल पत्नी मैताश कुमार, महेश कुमार पुत्र बेगाराम** एवं **अनिल कुमार पुत्र मंगलचन्द** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुमन निठारवाल** के स्वामित्व की अचल अवासीय सम्पति **खसरा नम्बर 1802, ग्राम श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 280 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में स्वयं की भूमि, उत्तर दिशा में अन्य प्लॉट एवं दक्षिण दिशा में महेश का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹7,00,000/– (अक्षरे रूपये सात लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.01.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.01.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **मैताश कुमार पुत्र महेश कुमार, सुमन निठारवाल पत्नी मैताश कुमार, महेश कुमार पुत्र बेगाराम** एवं **अनिल कुमार पुत्र मंगलचन्द** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुमन निठारवाल** के स्वामित्व की अचल अवासीय

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सम्पत्ति **खसरा नम्बर 1802, ग्राम श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 280 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में स्वयं की भूमि, उत्तर दिशा में अन्य प्लॉट एवं दक्षिण दिशा में महेश का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **17 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर